# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## पत्रक भाग - एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा  षष्ठम् सत्र  अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 26, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

### 1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02,

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.23 बजे स्थगित की जाकर 11.28 बजे समवेत हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

### 2. प्रश्नकाल (क्रमश:)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए।)

तारांकित प्रश्न संख्या- 03

### 3. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरणदास महंत, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी,

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूल सिंह राठिया, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए लगातार नारे लगाये गए।)

## 4. प्रश्नकाल (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या- 04

(कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 58 तारांकित एवं 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

माननीय अध्यक्ष ने पुन:श्च निलंबित सदस्यों से सभा भवन के बाहर जाने व कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करने का अनुरोध किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में लगातार नारे लगाये जाते रहे।)

## 5. अध्यक्षीय निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- प्रतिपक्ष के सम्माननीय सदस्य निरंतर असंसदीय व्यवहार करते हुए इस विधान सभा में दो बार, तीन बार आग्रह करने के बाद भी, जो यहां की 25 साल की परंपरा है, उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और यह नुकसान छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं हैं, जो उचित नहीं है।

(गर्भगृह में आने से निलंबित होने के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में बैठकर लगातार नारे लगाये जाने के कारण सदन की कार्यवाही 11.52 बजे स्थगित की जाकर 12.40 बजे समवेत हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

## 6. पृच्छा

श्री केदार कश्यकप, संसदीय कार्यमंत्री ने कथन किया कि- आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सदन की व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की । आपकी व्यवस्था के बावजूद भी प्रतिपक्ष ने जो कृत्य किया, किया ऐसा पूरे 25 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी हैं, वे बहुत ही समझदार, शालीन और बुद्धिजीवी हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ । पूरे सदन ने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अराजकता फैलाने की दृष्टि से कांग्रेस के विधायकों को उकसाने का काम कर रहे थे, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । सदन में नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सदन को विपक्ष की ओर से कौन चला रहा है, इस बात का भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। सदन की गरिमा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए । आपने इतनी अच्छी व्यवस्था दी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने यहां व्यवहार किया, वह दुर्भाग्यवपूर्ण है ।

## 7. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 499) पर सभा में चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों के गर्भगृह में आने के कारण छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 250(1) के अंतर्गत स्वमेव निलंबित हो जाने की घोषणा करते हुए, मेरे द्वारा प्रतिपक्ष के निलंबित सदस्यों से परम्परानुसार सभा भवन से बाहर जाने का अनुरोध किया गया था, ताकि प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े अन्य विषयों पर, जो माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते थे, उसकी सार्थक एवं निर्बाध चर्चा हो सके । परन्तु प्रतिपक्ष के निलंबित माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ विधान सभा के उच्च मापदंड स्वरूप स्थापित स्वस्थ परंपरा के विरूद्ध आचरण करते हुए नियमानुसार स्वमेव निलंबित हो जाने के बावजूद गर्भगृह में रहते हुए प्रश्नकाल जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यवाही को अनवरत बाधित करते रहे । मेरे द्वारा निलंबित सदस्यों से, परम्परा और नियमों का पालन करते हुए सभा भवन से बाहर जाने के बार-बार अनुरोध के बावजूद आसंदी के निर्देश के विपरीत आचरण किए जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी मन से निलंबित माननीय सदस्यों को आज की दिन भर की कार्यवाही से निलंबित करता हूं ।

## 8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत् निजी भूमि अधिग्रहण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (अनुपस्थित- सूचना प्रस्तुत नहीं)

## 9. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई।

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) डॉ. चरणदास महंत

(3) श्री इन्द्रशाह मंडावी

(4) श्री सुशांत शुक्ला

(5) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

## 10.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

### गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

(1) श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार दिनांक 18 जुलाई, 2025 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

| अशासकीय संकल्प क्र. | सदस्य का नाम | समय |
|---|---|---|
| (क्रमांक - 07) | श्रीमती अंबिका मरकाम | 30 मिनट |
| (क्रमांक - 08) | श्री अजय चन्द्राकर | 30 मिनट |

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की आज की कार्यसूची में सम्मिलित माननीय सदस्य श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

## 12. शासकीय विधि विषयक कार्य

**(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025)**

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

**(2) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025)**

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

**(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025)**

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।**

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

**(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)**

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अमर अग्रवाल, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अनुज शर्मा,

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

**(4) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025)**

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।**

श्री रिकेश सेन, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नीलकण्ठ टेकाम,

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

श्री राजेश अग्रवाल

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

**(5) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025)**

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।**

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, सुनील सोनी,

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

**अपराह्न 3.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

**दिनेश शर्मा**

**सचिव**

**छत्तीसगढ़ विधान सभा**